न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस०सी०-एस०टी० ऐक्ट, लखनऊ।

सत्र वाद सं० 2201/2022

सरकार **बनाम** पंकज लोध आदि

अ० सं० 26/2020
धारा 323, 504, 506 भा०द०सं० तथा
धारा 3(1)द, ध एस०सी०–एस०टी० ऐक्ट
थाना–काकोरी, लखनऊ।

25.11.2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त पंकज लोध व्यक्तिगत रूप से मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त पंकज लोध के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 भा०द०सं० धारा 3(1)द, ध, एस०सी०–एस०टी० ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं तद्नुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 18.12.2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०–एस०टी० ऐक्ट),
लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस०सी०-एस०टी० ऐक्ट, लखनऊ।

सत्र वाद सं० 2201/2022

सरकार **बनाम** पंकज लोध आदि
अ० सं० 26/2020
धारा 323, 504, 506 भा०द०सं० तथा
धारा 3(1)द, ध एस०सी०–एस०टी० ऐक्ट
थाना–काकोरी, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस०सी०–एस०टी० ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त पंकज लोध को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ–

प्रथम– यह कि दिनांक 13.01.2020 शाम 5.30 बजे थाना काकोरी, जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम सैथा में आप अभियुक्त पंकज लोध ने वादी मुकदमा नीरज को मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त पंकज लोध ने वादी मुकदमा नीरज को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त पंकज लोध ने वादी मुकदमा नीरज को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रंसज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त पंकज लोध ने वादी मुकदमा नीरज को अनुसूचित जाति का सद्स्य जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि० की धारा–3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचम– यह उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्त पंकज लोध ने वादी मुकदमा नीरज जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि० की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 25.11.2025	(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी) विशेष न्यायाधीश (एस०सी०–एस०टी० ऐक्ट), लखनऊ। जेओ कोड–यूपी06127

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

दिनांकः 25.11.2025	(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी) विशेष न्यायाधीश (एस०सी०–एस०टी० ऐक्ट), लखनऊ। जेओ कोड–यूपी06127